भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1840
गुरूवार, 17 मार्च, 2022/26 फाल्गुन, 1943 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत रोजगार के अवसर

1840. श्री इरण्ण कडाडिः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो भारत में विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में इस योजना को कब तक सहायक होने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की कुल अवधि अर्थात वर्ष 2020 से वर्ष 2023 के लिए कितना व्यय संस्वीकृत किया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ख): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-**19** महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई हैं। भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान 2 वर्ष के लिए वहन कर रही है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 है।

28.02.2022 को, देश में 1.32 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 50.81 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। कर्नाटक राज्य में, 9265 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 4.02 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

(ग): योजना की संपूर्ण अवधि के लिए स्वीकृत बजट परिव्यय 22,098.72 करोड़ रुपए है।

*****